फर्द अहकाम

रामा बनाम तहसीलदार फागी

नाम न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या 71/2024/प.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
26.06.2024	यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री विनोद जैन ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.06.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
28/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। संलग्न जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम रामलाल S/o हरनाथ हिस्सा 1/3 जाति जाट मैन्दवास दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि मे प्रार्थी का नाम रामा S/o हरलाल अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र रामलाल S/o हरनाथ व रामा S/o हरनाथ एक ही व्यक्ति होना बताया है। प्रार्थी की अन्य आराजी मे रामा S/o हरनाथ अंकित है। उपर्युक्त दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि रामलाल S/o हरलाल व रामा S/o हरलाल एक ही व्यक्ति है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 LR Act. स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख०नं. 10/2 वाके ग्राम सिरस्या तहसील फागी जिला दूदू के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अंकन रामलाल पुत्र हरलाल के स्थान पर रामा पुत्र हरलाल दुरुस्त किया जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। शेष जमाबन्दी बदस्तूर रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। 28/6/24 उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला-दूदू	